FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0214 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/08/2025 17:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 19/08/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/08/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/08/2025 17:28:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 04 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** TROMA CENTAR,RAJKIYA JILA CHIKITSALAYA, JALORE,JILA JALORE

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** YOGESH VYAS
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** FUTARMAL
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOTAM RISHI MANDIR KE PASS WALI GALI, RAMDEV COLONY, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOTAM RISHI MANDIR KE PASS WALI GALI, RAMDEV COLONY, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR.KANARAM PATEL		पिता:TEJARAM	1. PATELO KA WAS,GRAM POST HEMAWAS,Sadar Pali,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, जालोर विषय - रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि में योगेश व्यास पुत्र श्री फुटरमल गर्ग, जाति गर्ग पेशा एलआईसी ऐजेन्ट हाल निवासी गोतम रिशी वाली गली रामदेव कोलोनी जालोर निवासी हूँ। मेरे साथ कुछ लोगों द्वारा दिनांक 24.07.2025 को जालोर में ही मारपीट की थी। जिसमे मेरे गंभीर चोट आई थी जिसका मेडिकल सरकारी अस्पताल में किया गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली मे मेरे पिता श्री फुटराराम जी ने दी थी जिस पर मु. स. 232 दिनांक 24.07.2025 दर्ज हुआ। मेरे आई चोटो की मेडिकल रिपोर्ट ट्रोमा सेन्टर जालोर में कार्यरत डा. श्री कानाराम पटेल बनाकर देंगे। जिनसे मे मिला तो उन्होने मेडिकल रिपोर्ट मेरे पक्ष में बनाने हेतु मेरे से रूपयों की मांग की है। श्री कानाराम डा. साहब प्रत्येक मेडिकल रिपोर्ट देने मे पैसे लेकर देते है। मैं मेरे मेडिकल रिपोर्ट लेने की एवज मे डा. श्री कानाराम पटेल को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। रिश्वत लेते उनको पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री कानाराम डा. के मध्य कोई लेन देन बकाया नहीं है। ना ही हमारे आपस में कोई रंजिश है। अतः कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक 13.08.2025 प्रार्थी योगेश व्यास कार्यवाही पुलिस दिनांक 13.08.2025 समय 12.30 पी0एम0 इस समय परिवादी श्री योगेश व्यास पुत्र श्री फुटरमल, उम्र 26 वर्ष, पैशा एलआईसी ऐजेन्ट, निवासी मुकाम पोस्ट सामूजा, पुलिस थाना आहोर, जिला जालोर हाल निवासी गोतम ऋषि मन्दिर के पास वाली गली, रामदेव कॉलोनी जालोर, मोबाईल नम्बर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय जालोर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मेरे साथ कुछ लोगों द्वारा दिनांक 24.07.2025 को जालोर में ही मारपीट की थी। जिसमें मेरे गंभीर चोट आई थी, जिसका मेडिकल सरकारी अस्पताल में किया गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली में मेरे पिता श्री फुटराराम जी ने दी थी। जिस पर मुकदमा संख्या 232 दिनांक 24.07.2025 दर्ज हुआ। मेरे आई चोटों की मेडिकल रिपोर्ट ट्रोमा सेन्टर जालोर में कार्यरत डा. कानाराम पटेल बनाकर देंगे। जिनसे में मिला तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट मेरे पक्ष में बनाने हेतु मेरे से रूपयों की मांग की है। कानाराम डा. साहब प्रत्येक मेडिकल रिपोर्ट देने में पैसे लेकर देते है। मैं मेरे मेडिकल रिपोर्ट लेने की एवज में डा. कानाराम पटेल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। रिश्वत लेते उनको पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व कानाराम डा. के मध्य कोई लेन-देन बकाया नहीं है ना ही हमारे आपस में कोई रंजिश है।" अतः कानूनी कार्यवाही करावे। वगैरा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं के हस्त कलमी होना तथ रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सहीं होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। उपस्थित परिवादी श्री योगेश व्यास ने बताया कि आज दिनांक 13.08.2025 को डा. कानाराम ट्रोमा सेन्टर में व्यस्त होने से मेरे से आज बात नहीं करेंगे। कल दिनांक 14.08.2025 को डा. कानाराम मेरे से वार्ता कर लेंगे। जिस पर परिवादी श्री योगेश व्यास को कार्यवाही में गोपनीयता बरतते की हिदायत देकर कल दिनांक 14.08.2025 को प्रातः 09.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 14.08.2025 को प्रातः परिवादी श्री योगेश व्यास कार्यालय हाजा पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया एवं बताया कि आज डा. कानाराम ट्रोमा सेन्टर जालोर में उपस्थित है एवं वह मेरे से आज रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्ता कर देंगे। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री सुरेन्द्र सिगड़ कानि. नम्बर 232 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित परिवादी श्री योगेश व्यास से आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अलमारी से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर बाहर निकालकर रिकार्डर को खाली होना सुनिष्चित कर उक्त वॉयस रिकार्डर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री योगेश व्यास एवं श्री सुरेन्द्र सिगड़ कानि. को चलाने की समझाईस कर सुपुर्द कर श्री सुरेन्द्र सिगड़ कानि को सुपुर्द कर डा. कानाराम से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर लाने हेतु ट्रोमा सेन्टर जालोर के लिऐ रवाना किया। कुछ समय पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुऐ कानि. श्री सुरेन्द्र सिगड़ एवं परिवादी श्री योगेश व्यास कार्यालय हाजा में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री सुरेन्द्र सिगड़ कानि.

ने बन्द हालत में डिजीटल वॉयस रिकार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं एवं श्री योगेश व्यास भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर से रवाना होकर ट्रोमा सेन्टर जालोर के पास पहुचे । जहां मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री योगेश व्यास को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु ट्रोमा सेन्टर के अन्दर डा. कानाराम के कक्ष में जाने हेतु रवाना किया। मन् कानि. ट्रोमा सेन्टर के आस-पास अपनी उपस्थित छिपाते हुऐ खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री योगेश व्यास मन् कानि. के पास उपस्थित आया। जिससे मैने डिजीटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर ट्रोमा सेन्टर में डा. कानाराम के कक्ष में गया जहां पर डा. कानाराम उपस्थित मिले। जिनसे मैने मेरी आई.आर. बनाने के बारे में वार्ता की तो उन्होने मेरे आई.आर. बनाने के एवज में दो तीन हजार रूपये रिश्वत की मांग की है, जो आपके कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। जिस पर मैं एवं परिवादी श्री योगेश व्यास ट्रोमा सेन्टर के बाहर से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर में श्रीमान के समक्ष उपस्थित आये है। पास ही खडे० परिवादी को पूछने पर परिवादी श्री योगेश ने श्री सुरेन्द्र सिगड़ के कथनों की ताईद की। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना तो श्री सुरेन्द्र सिगड कानि. एवं परिवादी श्री योगेश व्यास के कथनो की ताईद होते हुए रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। उपस्थित परिवादी ने बताया कि मैं मेरे जरूरी निजी कार्य से तीन-चार दिन तक जालोर से बाहर रहूंगा। मैं जालोर आउंगा तब रिश्वत में दिये जाने वाली राशि की व्यवस्था कर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर में श्रीमान के समक्ष उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को कार्यवाही में गोपनीयता बरतते हुऐ रिश्वत राशि की व्यवस्था कर शीघ्र भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। दिनांक 19.08.2025 को प्रातः 11.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री योगेश व्यास मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आया एवं बताया कि डा. कानाराम द्वारा दौराने मांग सत्यापन मेरे से दो-तीन हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। मैने 2,000 रूपये की व्यवस्था कर दी है जो मैं साथ लेकर आया हूँ० एवं मैने मेरे स्तर पर डा. कानाराम की उपस्थिति के बारे में मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि डा. कानाराम ट्रोमा सेन्टर जालोर में अपने कक्ष में उपस्थित है। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से विकास अधिकारी, पंचायत समिति जालोर के नाम श्री भरतसिंह कानि0/ड्रा नं0 501 को एक तहरीर देकर गवाहान तलब कर लाने हेतु निर्देशित किया। कुछ समय पश्चात श्री भरतसिंह कानि0/ड्रा मय दो स्वतन्त्र गवाह ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आये। उपस्थित गवाहन को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः प्रदीप कुमार पुत्र श्री हुकमाराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी सेदरिया बालोतान, तहसील आहोर, जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंचायत समिति जालोर व श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम धवला, पुलिस थाना बागरा, जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंचायत समिति जालोर होना बताया। उपस्थित गवाहन को यहा आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुऐ कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री योगेश व्यास का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया एवं पढाया गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को भी सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। गवाहान द्वारा परिवादी से पूछताछ एवं मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुनने पर रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना बताया। समय अभाव के कारण रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान भ्रनिब्यूरो सिरोही से पाबन्द शुदा श्री अवतारसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री योगेश व्यास से आरोपी डा. कानाराम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,000 रूपये पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री योगेश व्यास ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में से पांच सौ - पांच सौ रूपये के चार नोट कुल 2000 रूपये पेश किये। जिनके नम्बर निम्न प्रकार है (1) 0 केएच 247339, (2) 7 डीक्यू 343252, (3) 0 बीजी 652267 व (4) 4 एनडी 282947 उपरोक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाये जाकर कार्यालय हाजा के श्री रविन्द्र कुमार एएसआई मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री भरतसिंह कानि ड्राईवर नं. 501 को सुपुर्द करवाई गई। तत्पश्चात उपरोक्त पांच सौ - पांच सौ रूपये के सभी नोटों को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर श्री भरतसिंह कानि. ड्राईवर से उपरोक्त प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री योगेश व्यास की जमा तलाशी गवाह श्री प्रदीप कुमार कनिष्ट सहायक से लिरवाई गई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक राशि, वस्तु/दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिये गए तथा परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,000 रूपये परिवादी श्री योगेश व्यास के पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि को रास्ते में हाथ नहीं लगाऐ एवं छुऐ नहीं तथा आरोपी डा. कानाराम पटेल ट्रोमा सेन्टर जालोर द्वारा मांगने पर पर ही उसे अपनी पेन्ट की जेब से निकाल कर देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी के हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करे, साथ ही परिवादी श्री

योगेश व्यास को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी डा. कानाराम पटेल ट्रोमा सेन्टर जालोर द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता है अथवा छुपाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखे। उक्त राशि आरोपी डा. कानाराम पटेल ट्रोमा सेन्टर जालोर के प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल या मिस कॉल कर या ट्रेप दल के अन्य सदस्यों को देखते हुऐ गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात कार्यालय हाजा से एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाया गया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री भरतसिंह कानि.ड्राईवर के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईस की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भती-भांती समझाया गया। तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोड़कर नष्ट करवाया गया तथा उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था। श्री भरतसिंह कानि. ड्राईवर से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी पुनः मालखाने में रखवाई जाकर मालखाना को बन्द कर ताला लगवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के दोनों हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु/दस्तावेज एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यसूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह कानि/ड्रा नं0 501 को कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु पिछे छोडा गया। तत्पश्चात दिनांक 19.08.2025 को वक्त 01.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् मांगीलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रदीप कुमार कनिष्ट सहायक व श्री महेन्द्रसिंह कनिष्ट सहायक, परिवादी श्री योगेश व्यास, ब्यूरो जाब्ता श्री रविन्द्र कुमार एएसआई, श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93, श्री अवतारसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री करणीदान कानि. नं. 236, श्री सुरेन्द्र सिगड़ कानि. नं. 232, श्री कालूराम कानि. नं. 477 मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, लेपटॉप, विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवष्यक सामग्री के जरिये निजी वाहनों के भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर से ट्रोमा सेन्टर जालोर के लिऐ रवाना हुऐ। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह कानि0/ड्रा को कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु छोड़ा गया। रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के ट्रोमा सेन्टर जालोर के समीप पहुंचे। परिवादी श्री योगेश व्यास को निजी वाहन से उतार कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के ऑन कर चलाने की समझाईश कर सुपुर्द कर हिदायत दी कि रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा करे। इत्यादी हिदायत देकर रिश्वत राशि लेन-देन हेतु ट्रोमा सेन्टर के अन्दर डा. कानाराम के कक्ष के लिऐ रवाना किया एवं परिवादी श्री योगेश व्यास के पीछे-पीछे श्री रविन्द्र कुमार एएसआई, श्री कालूराम कानि. व श्री सुरेन्द्र सिगड़ कानि को आवश्यक हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरा स्वतन्त्र गवाहान एवं शेष ट्रेप दल के सदस्यगण निजी वाहनों में बैठे रह कर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुऐ। समय 02.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री योगेश व्यास ने डाक्टर कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट के कक्ष के बाहर ट्रोमा सेन्टर के बरामदे में आकर ट्रेप पार्टी को दखते हुये पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया। जिसे ट्रेप दल के सदस्य श्री कालूराम कानि. एवं श्री सुरेन्द्र सिगड कानि. ने देखा उक्त दोनों कानि. ने मन् मांगीलाल राठौड अतिरिक्ते पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर को गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन अतिरिक्त. पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के हरकत में आकर रवाना होकर ट्रोमा सेन्टर के बरामदे में पहुचे। बरामदे मे डा. कानाराम मेडीकल ज्यूस्टि के कक्ष के बाहर परिवादी श्री योगेश व्यास, श्री कालूराम कानि. एवं श्री सुरेन्द्र सिगड कानि. उपस्थित मिले। जिस पर परिवादी श्री योगेश व्यास को पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर स्वी्च ऑफ कर मन् अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराह श्री करनीदान कानि. को साथ लाये विडियो ग्राफी कैमरे में नया मैमोरी कार्ड डालकर कार्यवाही की विडियाग्राफी करने के आवश्यक निर्देश दिये गये। उपस्थित परिवादी ने बताया कि डा. कानाराम मेडीकल ज्यूस्टि ने अपने कक्ष में उपस्थित है जिन्हो्ने मेरे से मेरे आई.आर. जारी करने के एवज में वार्ता कर पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि 2,000 रूपये मांग कर अपनी टेबल पर लगे टेबल क्लोथ के नीचे की तरफ रखवाये है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के परिवादी को हमराह लेकर डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट के कक्ष में पहुचे तो परिवादी ने टेबल कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट है। जिन्होने अभी-अभी मेरे

से 2,000 रूपये मांग कर अपनी टेबल पर लगे टेबल क्लोथ के नीचे दाहिनी तरफ रखवाये है। इसी दौरान कक्ष में रखी टेबल के दाहिनी तरफ नीचे फर्श पर नोट दिखे। उक्त नोटों को गवाह श्री महेन्द्रसिंह से उठवाये जाकर नोटों को चैक कर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के चार नोट कुल 2000 रूपये होने पाये गये। उक्त नोटों को गवाह श्री महेन्द्रसिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन मांगीलाल राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एवं दोनों गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम डा. कानाराम पुत्र श्री तेजाराम, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम हेमावास, पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली हाल निवासी श्री राजाराम वाटिका, झालामण्डं चौराहा के पास, जोधपुर, पुलिस थाना कूडी भगतासनी जोधपुर कमिशनरेट जोधपुर जिला जोधपुर हाल निवासी किरायेदार किराये का मकान फतेह रॉयल रेजिडेन्शी, रेल्वे स्टेशन के पास जालोर हाल मेडीकल ज्यूरिस्ट, (विधि चिकित्सक), ट्रोमा सेन्टर, राजकीय जिला चिकित्सालय जालोर, जिला जालोर होना बताया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री योगेश व्यास की तरफ ईशारा कर उसे पहचानने बाबत पूछा तो डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट ने बताया कि मैं श्री योगेश व्यास को पहचानता हूँ क्योकि योगेश व्यास के साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर में प्रकरण संख्या 232/2025 दिनांक 24.07.2025 दर्ज है। उक्त प्रकरण में चोट प्रतिवेदन जारी करवाने के लिऐ मेरे पास आया था। डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट ने बताया कि अभी थोडी देर पहले योगेश व्यास मेरे पास आया था इसने चोट प्रतिवेदन बाबत मेरे से बातचित की थी। मैने योगेश व्यास का चोट प्रतिवेदन तैयार कर दिया है परन्तु पुलिस थाना कोतवाली जालोर से कोई विशेष वाहक लेने के लिऐ नहीं आया है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट को परिवादी श्री योगेश व्यास से अभी-अभी कोई राशि प्राप्त करने के बारे में पूछने पर बताया कि श्री योगेश व्यास ने चोट प्रतिवेदन जारी करने के एवज में अपनी ईच्छा से कुछ राशि मेरी टेबल के टेबल क्लोथ के नीचे रखे थे, जो योगेश व्यास के बाहर जाते ही टेबल से नीचे गिर गये। जो आपने अभी-अभी नीचे से उठवाये है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री योगेश व्यास ने स्वेच्छा से डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट के कथनों का खण्डन करते हुऐ बताया कि मेरे साथ कुछ लोगों ने मारपीट करने पर मैने पुलिस थाना कोतवाली जालोर में प्रकरण संख्याण 232 दिनांक 24.07.2025 दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण में मेरा मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन जारी करने हेतु डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट से मिला तो डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट ने चोट प्रतिवेदन जारी करने के एवज में मेरे से 2000 -3000 रूपये रिश्वत की मांग की थी, जिस पर मेरे से आज 2000 रूपये की ही व्यवस्था हो सकी, उक्त राशि 2000 रूपये आज अभी थोडी देर पहले डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा मांगने एवं उनके कहने पर कहे अनुसार उनकी टेबल पर लगे टेबल क्लोथ के नीचे दाहिनी तरफ रखवाये थे। जिस पर नियमानुसार रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पारदर्शित प्लास्टिक के एक बड़े डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गिलास के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया । उक्त घोल में टेबल क्लोथ का वह भाग जिसके नीचे रिश्वत राशि 2,000 रूपये रखवाये गये थे उस भाग को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईदार गुलाबी हो गया। जिसे उपस्थितगण ने हल्का झाईदार गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क के-1 व के-2 अंकित किया गया। उक्त टेबल क्लोथ को धुप व हवा में सुखाया जाकर सुखने के उपरान्त टेबल क्लोथ के उक्त स्थान जहां पर रिश्वत राशि रखवाई गई थी उस स्थान पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त टेबल क्लोथ को एक सफेद कपडे की थेली में डलवाया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर सम्बंतधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मौके पर सिल मोहर करवाया जाकर मार्क " के " अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी स्थल डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट के कक्ष के फर्श के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पारदर्शित प्लास्टिक के एक बड़े डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गलास के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में सफेद कपडे की चिन्दी को डुबोकर रिश्वत राशि बरामद स्थल पर रगड़- रगड़ कर घोवन लिया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगण ने गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एफ-1 व एफ-2 अंकित किया गया। उक्त धोवन के प्रयुक्त में ली गई सफेद कपडे की चिन्दी पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर चिन्दी को एक सफेद कपडे की थेली में डलवाया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मौके पर सिल मोहर करवाया जाकर मार्क "एफ " अंकित किया गया । तत्पश्चात डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट के कक्ष की टेबल जहां पर टेबल क्लोथ के नीचे टेबल पर रिश्वत राशि रखवाई गई थी टेबल के उक्त स्थान का धोवन किया जाना आवश्यक होने से एक अन्य पारदर्शित प्लास्टिक के एक बड़े डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त गिलास के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन

होना स्वीकार किया। उक्त घोल में सफेद कपडे की चिन्दी को डुबोकर टेबल के उस स्थान जहां पर रिश्वत राशि रखवाई गई थी उक्त स्थान पर रगड़ रगड़ कर घोवन लिया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया। जिसे उपस्थितगण ने मटमेला होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क टी-1 व टी-2 अंकित किया गया । उक्त धोवन के प्रयुक्त में ली गई सफेद कपडे की चिन्दी पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर चिन्दी को एक सफेद कपडे की थेली में डलवाया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर सम्बंधितगण के हस्तासक्षर करवाये जाकर मौके पर सिल मोहर करवाया जाकर मार्क "टी" अंकित किया गया। धोवन के उपयोग में लिऐ गये प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शित गिलासों को जलाकर नष्ट करवाये गये। डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट के कक्ष में रोशनी की प्रयास व्यवस्था नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही पास के ही कमरे में करने का निर्णय लिया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह दोनों स्वतन्त्र, ब्यूरो जाब्ता एवं परिवादी तथा दस्तयाब शुदा आरोपी डा. कानाराम मय जब्त शुदा धोवन के सेम्पल एवं मुर्तिबा फर्दात के रवाना होकर पास ही डा. बी. पी. मीणा एम.ओ. के कक्ष रूम नम्बर 11 में पहुचे। जहां अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पूर्व में डा. कानाराम मेडीकल ज्यू०रिस्ट के कक्ष में फर्श पर मिली रिश्वत राशि 2000 रूपये जो सुरक्षार्थ गवाह श्री महेन्द्रसिंह के पास रखवाई गई थी। उक्त राशि के नम्बरों का मिलान अन्य स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रदीप कुमार को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट सुपुर्द कर नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो 500-500 रूपये के चार नोट कुल 2000 रूपये होना एवं नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहु पाये गये। उक्त 2000 रूपये के नोटों को एक सफेद लिफाफे में डलवाये जाकर लिफाफे को सफेद कपडे की थेली में डालकर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर सम्बंधितगण के हस्तांक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया । तपश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट को परिवादी श्री योगेश व्यास के चोट प्रतिवेदन के बारे में पूछने पर बताया कि चोट प्रतिवेदन से सम्बंमधित दस्तावेज एवं चोट प्रतिवेदन बुक मेरे स्वयं के कक्ष में है। जिस पर आरोपी डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट को उपरोक्त दस्तावेज पेश करने हेतु कहां गया तो डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट ने गवाहान की उपस्थिति में चोट प्रतिवेदन से सम्बंधित बुक प्रस्तुत की। जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 24.07.2025 को परिवादी श्री योगेश पुत्र फुटरमल के नाम का चोट प्रतिवेदन दो प्रतियों में जारी किया गया है जिसमें आई.आर. नम्बर व दिनांक तथा डिस्पेस नम्बर व दिनांक खाली छोडे गये है, उक्त प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों पर परिवादी श्री योगेश के हस्ता०क्षर किये हुये है परन्तु मेडीकल ज्यूरिस्ट (डा. कानाराम) के हस्ताक्षर मय मोहर अंकित नहीं है। चोट प्रतिवेदन बुक के अवलोकन से पाया गया कि इसमें आई.आर. संख्या 01 से 183 तक दिनांक 13.08.2025 आई.आर. जारी की हुई है उसके बाद परिवादी के चोट प्रतिवेदन की दोनों प्रतियां लगी हुई है तत्पंश्चात आई.आर. संख्या 185 से 188 दिनांक 18.08.2025 तक जारी की हुई है उसके उपरान्त दिनांक 19.08.2025 को श्रीमती पवनी नाम दो प्रतियों में चोट प्रतिवेदन तैयार किया हुआ है जिस पर आईआर नम्बर व दिनांक तथा डिस्पेस नम्बर व दिनांक अंकित नहीं है ना मेडीकल ज्यूरिस्ट के हस्ताक्षर है। परिवादी श्री योगेश व्यास के चोट प्रतिवेदन सम्बंधित पुलिस थाना कोतवाली जालोर में नही भेजने के बारे में पूछने पर डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली से कोई विशेष वाहक लेने नहीं आया इसलिऐ इस पर आई आर नम्बर व दिनांक तथा डिस्पेस नम्बर व दिनांक अंकित नहीं किये ना ही मैने हस्ताक्षर किये । उक्त चोट प्रतिवेदन बुक में परिवादी श्री योगेश के नाम की आई.आर.की दोनों प्रतियों के पेज के पीछे सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चांत चोट प्रतिवेदन बुक की फोटो काफी करवाकर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई । मूल चोट प्रतिवेदन बुक डा. मुकेश कुमार वरिष्ठ विशेषज्ञ शिशु रोग विभाग, मातृ एवं शिशु अस्पताल जालोर को सुपुर्द कर नियमानुसार परिवादी श्री योगेश व्यास का चोट प्रतिवेदन जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं धोवन कार्यवाही तैयार की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात डा. कानाराम मेडिकल ज्यूरिस्ट के कार्यालय कक्ष की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। एवं परिवादी श्री योगेश व्यास की निशादेही से रूबरू मौतबिरान के घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्षा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी डा. कानाराम मेडीकल ज्यूरिस्ट, (विधि चिकित्सक), ट्रोमा सेन्टर, राजकीय जिला चिकित्सालय जालोर, जिला जालोर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संषोधन 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से गिरफ्तारी के कारणों व आधारों की पूर्ण सूचना दी जाकर संविधान द्वारा प्रदत संवेधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुऐ जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी डा. कानाराम मेडिकल ज्यूरिस्ट की जामा तलाशी गवाह श्री प्रदीप कुमार से लिरवाई गई तो उसके पास एक ओपो कम्पनी का मोबाईल एवं 5210 रूपये पाये गये। उक्त राशि के बारे में उनका जवाब सन्तोषजनक पाये जाने पर मोबाईल एवं राशि 5210 रूपये उनके कहे अनुसार उनके सहकर्मी श्री दिनेश कुमार गर्ग नर्सिंग स्टाफ को सुपुर्द किये गये एवं गिरफ्तारी की सूचना डा. कानाराम के कहेनुसार उनके सगे भाई श्री शेषाराम को मोबाईल नम्बर

पर दी जाकर ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाया गया। फर्द गिरफ्तारी पर सम्बंधितगण

के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत आरोपी डा. कानाराम मेडिकल ज्यूरिस्ट को गिरफ्तार करने का गिरफ्तारी मीमों नियमानुसार तैयार कर गिरफ्तारी मीमों पर सम्बंधिगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मौके की कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं होने से श्री कालूराम कानि., श्री सुरेन्द्र सिगड़ एवं श्री करणीदान कानि. को चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय जालोर एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली जालोर के नाम दो पृथक-पृथक तहरीर देकर निर्देशित किया कि गिरफ्तार शुदा आरोपी डा. कानाराम का राजकीय चिकित्सालय जालोर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात सुरक्षा की दृष्टि से हवालात पुलिस थाना कोतवाली जालोर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आवे। इत्यादी हिदायत देकर गिरफ्तार शुदा आरोपी को उक्त तीनों कानि.गण को सुपुर्द कर निजी वाहन से रवाना किया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री योगेश व्यास, दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री प्रदीप कुमार व श्री महेन्द्रसिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री रविन्द्र कुमार एएसआई, श्री मोहनलाल हैड कानि. व श्री अवतारसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय हमराह साथ लाये आवश्यक सामग्री ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियों रिकार्डर, बरामद रिश्वती राशि सिल्ड शुदा, जब्त शुदा मालखाना आईटम फर्दात अनुसार, मुर्तिबा फर्दात व जब्त दस्तावेजात के जरिये निजी वाहनों से ट्रोमा सेन्टर जालोर से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर पहुचे। इसी दौरान आरोपी डा. कानाराम मेडिकल ज्यूरिस्ट का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सुरक्षा की दृष्टि से जमा हवालात पुलिस थाना कोतवाली जालोर हेतु गये हुऐ ब्यूरो जाब्ता श्री कालूराम कानि. श्री सुरेन्द्र सिगड़ कानि व श्री करणीदान कानि. भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आये एवं आरोपी डा. कानाराम की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कोतवाली में जमा करवाने की जमा प्राप्ति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार गिरफ्तार शुदा आरोपी डा. कानाराम को हमरा लेकर ट्रोमा सेन्टर से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय जालोर पहुच चिकित्सा अधिकारी से आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर चिकित्सालय से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर पहुच आरोपी डा. कानाराम मेडिकल ज्यूरिस्ट को पुलिस थाना कोतवाली जालोर के हवालात में जमा करवाकर प्राप्ति प्राप्त कर रवाना होकर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर पहुचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी डा. कानाराम की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कोतवाली में जमा करवाने की रसीद का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री योगेश व्यास एवं आरोपी डा. कानाराम मेडिकल ज्यूरिस्ट के मध्य दिनांक 14.08.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 19.08.2025 को हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से श्री करणीदान कानि. की सहायता से रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द क्रमशः फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन व फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन पृथक-पृथक मुर्तिब कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई एवं परिवादी श्री योगेश व्यास एवं स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजीटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में सेव रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फाईल्स की पृथक-पृथक हैश वैल्यू ज्ञात कर एक-एक क्लोन सीडी तैयार की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमारी कार्ड को बाहर निकालकर एक सफेद कपडें की थेली में डालकर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर एवं उक्त थेली पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाऐ जाकर जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया गया। फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही की सम्पूर्ण विडियोग्राफी कार्यालय हाजा के विडियो कैमरा से श्री करणीदान कानि. की सहायता से करवाई गई थी। उक्त विडियोग्राफी की विडियो फाईल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है मैमोरी कार्ड में सेव विडियो फाईल्स की हैश वैल्यू ज्ञात कर दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मैमोरी कार्ड का विडियो कैमरा से बाहर निकालकर एक सफेद कपडें की थेली में डालकर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर एवं उक्त थेली पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाऐ जाकर जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया गया। फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात प्रकरण हाजा में जब्त शुदा मालखाना आईटम क्रमषः रिश्वत राशि 2000 रूपये का जब्त पैकेट, टेलब क्लोथ के धोवन के सैम्पल मार्क के-1 व के-2, टेलब क्लोथ का जब्त पैकेट मार्क "के", बरामदगी स्थल फर्श के धोवन के सैम्पल मार्क एफ-1 व एफ-2, फर्श के धोवन के उपयोग में ली गई चिन्दी का जब्त पैकेट मार्क "एफ", टेबल के धोवन के सैम्पल मार्क टी-1 व टी-2, टेबल के धोवन के उपयोग में ली गई चिन्दी का जब्त पैकेट मार्क "टी", रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन-देन वार्ताओं को रिकार्ड करने हेतु उपयोग मे लिया गया मूल मैमोरी कार्ड पैकेट जब्त शुदा एवं एक-एक क्लोन सीडर खुली हालत में, कार्यवाही की विडियोग्राफी हेतु उपयोग मे लिया गया मूल मैमोरी कार्ड पैकेट जब्त शुदा एवं दो डब पैन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार एएसआई को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री प्रदीप कुमार कनिष्ट सहायक व श्री महेन्द्रसिंह कनिष्ट सहायक को तथा परिवादी श्री योगेश व्यास को रूखसत किया गया। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी डा. कानाराम पुत्र श्री तेजाराम, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम हेमावास, पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली हाल निवासी श्री राजाराम वाटिका, झालामण्डं चौराहा के पास, जोधपुर, पुलिस थाना कूडी भगतासनी जोधपुर कमिशनरेट जोधपुर जिला जोधपुर हाल निवासी किरायेदार किराये

का मकान फतेह रॉयल रेजिडेन्शी, रेल्वे स्टेशन के पास जालोर हाल मेडीकल ज्यूरिस्ट, (विधि चिकित्सक), ट्रोमा सेन्टर, राजकीय जिला चिकित्सालय जालोर, जिला जालोर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री योगेश व्यास के साथ हुई मारपीट पर पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण संख्या 232 दिनांक 24.07.2025 में परिवादी श्री योगेश व्यास का चोट प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार करने के उपरान्त भी दिनांक 19.08.2025 तक ना तो स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये ना ही उस पर आईआर नम्बर अंकित किये ना हीं डिस्पेज किया जाकर जारी किया गया। इस प्रकार डा. कानाराम मेडिकल ज्यूरिस्ट ने पुलिस थाना कोतवाली जालोर से आईआर हेतु तहरीर दिनांक 24.07.2025 को प्राप्त होकर दिनांक 14.08.2025 को श्री योगेश व्यास का मेडिकल मुआयना करने के उपरान्त भी दिनांक 19.08.2025 तक चोट प्रतिवेदन जारी नहीं कर भ्रष्ट एंव अवैध तरीके से परिवादी से रिश्वत की मांग की एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 19.08.2025 को परिवादी श्री योगेश व्यास से 2,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया जाने से आरोपी के विरूध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः डा. कानाराम पटेल पुत्र श्री तेजाराम, उम्र 46 वर्ष, निवासी पटेलों का वास ग्राम पोस्ट हेमावास, पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली हाल निवासी श्री राजाराम वाटिका, झालामण्डं चौराहा के पास, जोधपुर, पुलिस थाना कूडी भगतासनी जोधपुर कमिशनरेट जोधपुर जिला जोधपुर हाल निवासी किरायेदार किराये का मकान फतेह रॉयल रेजिडेन्शी, रेल्वे स्टेशन के पास जालोर हाल कनिष्ट विशेषज्ञ (विधि विज्ञान), ट्रोमा सेन्टर अधीन जिला चिकित्सालय जालोर, जिला जालोर के विरूध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (मांगीलाल राठौड) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर............ कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) में आरोपी डा. कानाराम पटेल पुत्र श्री तेजाराम, उम्र 46 वर्ष, निवासी पटेलों का वास ग्राम पोस्ट हेमावास, पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली हाल निवासी श्री राजाराम वाटिका, झालामण्डं चौराहा के पास, जोधपुर, पुलिस थाना कूडी भगतासनी जोधपुर कमिशनरेट जोधपुर जिला जोधपुर हाल निवासी किरायेदार किराये का मकान फतेह रॉयल रेजिडेन्शी, रेल्वे स्टेशन के पास जालोर हाल कनिष्ट विशेषज्ञ (विधि विज्ञान), ट्रोमा सेन्टर अधीन जिला चिकित्सालय जालोर, जिला जालोर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 397 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1219-23 दिनांक 20.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,पाली, 2.-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर,4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDER KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2025 1[illegible]3

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/10/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)